FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0016 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/11/2025 19:25 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 14/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/11/2025

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 18:35 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/11/2025 **Time (समय):** 18:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 19/11/2025 18:35 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): मुख्यालय सिचाई विभाग पंचकुला,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** राहुल

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री ओम प्रकाश

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1990 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**कैलरम, KAITHAL, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**कैलरम, KAITHAL, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8950706003

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विजय चालक सिचाई विभाग पंचकुला			1. सिचाई विभाग सैक्टर-5 पंचकुला I, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	बिशम्बर सिचाई विभाग पंचकुला			1. सिचाई विभाग सैक्टर-5 पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

इन्सपैक्टर,

रा.स. एंव एन्टी करप्शन ब्यूरो,
पंचकूला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मै राहुल पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी गांव कैलरम जिला कैथल का रहने वाला हूं। मेरी बुआ के लड़के अनूप पुत्र रधुबीर गांव गोगडिया तहसील उचाना जिला जींद ने मुझे बताया कि उनकी कृषि योग्य भूमि को बधाना माईनर से नहरी पानी लगता है। जो बधाना माईनर से खेतो की सिचाई के लिए जो पहले आउटलैट बना हुआ है वह उनके खेतो से काफी दूर बना हुआ है। अब सिंचाई विभाग बधाना माईनर पर दूसरा आउटलैट बनाया जाना है, जो उनके खेतो के नजदीक बनाया जाना है। जिसके बनने से उनको काफी फायदा होगा और बधाना माईनर पर अब जो नया आउटलैट बनाया जा रहा है उसके बारे सिंचाई विभाग में Case regarding providing a new outlet RD 12500L after shifting the Chak of outlet RD 10200L 1 R Badhana minor of village Goghriyan ditt. Jind की फाईल पर कार्यवाही हो रही है। जो फाईल सिचाई विभाग के मुख्यालय पंचकूला में पैडिंग पडी है। मेरी बुआ के लडके अनूप ने मेरे को नये आउटलैट की कार्यवाही बारे पता करने के लिए कहा, जिस पर मैं गांव गोगडियां में बधाना माईनर पर बनने वाले आउटलैट की फाईल बारे पता करने के लिए इसी वर्ष माह जून व जुलाई सिचाई विभाग के मुख्यालय सैक्टर-6 पंचकूला में चीफ श्री एम.एल. राणा से मिला और उनको सारी बात बतलाई। जिस पर उन्होने मेरे को कार्यालय में बिशम्बर से मिलने के लिए कहा। जिस पर मै उसी कार्यालय में तैनात बिशम्बर नाम के व्यक्ति से मिला और उसको गांव गोगडियां में बधाना माईनर पर बनने वाले नये आउटलैट की पैडिंग फाईल बारे बतलाया। जिसने मुझे कहा कि आउटलैट की फाईल पर कार्यवाही चल रही है और उसने वहीं पर मेरी मुलाकात विजय नाम के व्यक्ति से करवाई । जो विजय ने मुझे बताया कि वह सिंचाई भवन हरियाण पंचकूला में चालक तैनात है और वह मेरी यह फाईल पास करवा देगा। जिस पर उसने मेरे से मोबाईल नम्बर पूछा और मैने अपना मोबाईल न. 8950706003 उसे नोट करवा दिया। उसके बाद मेरी विजय के मोबाईल न. 7206588797 से मेरे मोबाईल फोन के माध्यम से कई बार बातचीत हुई। दिनांक 13.11.2025 को विजय ने आपने मोबाईल न. 7206588797 से मेरे व्हाटसएप न. 8950706003 पर फोन आया और उसने कहा कि आपकी फाईल निकल जायेगी उसके लिए आपको 50,000 रू0 देने पड़ेगे । जिस पर मैने विजय को कहा कि 50000 रू0 तो बहुत ज्यादा है वह इसके लिए 30,000/35,000 रू0 दे सकता है परन्तु विजय ने कहा कि 50,000 रू0 से कम नही लगेगे। जो मैने मजबुरीवश 50,000 रू0 देने में हामी भर दी। इसके बाद दिनांक 14.11.2025 को मेरे पास विजय का फोन आया कि आपकी फाईल अप्रूव हो गई है और बुधवार दिनांक 19.11.2025 को 50,000 रू0 लेकर आ जाना मै आपको आउटलैट पास होने बारे लैटर की कापी दे दूगां । जो मै विजय उपरोक्त को रिश्वत के तौर पर उस द्वारा मांगे गये 50 हजार रू0 नही देना चाहता और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता हूं। मैने विजय की 50,000 रू0 रिश्वत मांगने सम्बधी रिकार्डिग की हुई है जो मैं बाद में आपको पेश कर दूगां। आज मै 500/500 रूपए के 100 नोट कुल 50,000 रूपए लेकर आया हूं। जो विजय चालक सिचाई भवन हरियाणा पंचकूला के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जावे। SD Rahul , Rahul S/o Om Parkash Village Kailram Distt Kaithal , 19.11.2025 Ph 8950706003

कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 19.11.2025 को मन निरीक्षक हाजिर थाना रा.स. एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 हाजिर हूं कि शिकायतकर्ता श्री राहुल पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी गांव कैलरम जिला कैथल ने हाजिर थाना आकर एक टाईपशुदा दरखास्त बरखिलाफ विजय चालक सिंचाई भवन हरियाणा पंचकूला के विरूद्व पेश की व शिकायत के साथ बतौर रिश्वत दिए जाने वाले 500-500 के 100 नोट कुल 50,000 रू० भी पेश किए। जो दरखास्त में उसने विजय द्वारा गांव गोगडियां में बधाना माईनर पर बनने वाले नये आउटलैट की फाईल को निकवाने के लिए 50,000 रु० बतौर रिश्वत राशि मांगने बारे जिकर किया है। जिस बारे में उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया व फोन पर सम्पर्क करके श्री सुनील जाखड़, जिला सांख्यिकी अधिकारी पंचकूला को हाजिर थाना आने बारे तथा राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह नियुक्त करवाया गया और इस सम्बंध में व्हाटसएप पर आदेश प्राप्त किये गये और उसका प्रिंट निकाल कर साथ रखा गया । जो श्री सुनील जाखड़ राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह अपने साथ अपने कार्यालय के किसी कर्मचारी को बतौर छायागवाह साथ लेकर आने बारे प्रार्थना की गई। शिकायतकर्ता द्वारा दरखास्त के साथ पेश किये गये 50 हजार रू0 की राशि को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस से लेकर अलग से फर्द सूचि करन्सी नोट तैयार की गई। फर्द सूचि करन्सी नोट पर मैने व शिकायतकर्ता श्री राहुल पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी गांव कैलरम जिला कैथल ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये । श्री सुनील जाखड़ राजपत्रित अधिकारी अपने साथ श्री हेमन्त, लिपिक कार्यालय अर्थ व

सांख्यिकी विभाग सैक्टर-4 पंचकूला को साथ लेकर थाना हाजिर आये जिनको राजपत्रित गवाह/स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने बारे आदेशो की प्रति दिखाकर अपने साथ आये लिपिक को छाया गवाह नियुक्त करने बारे निवेदन किया गया। जिस पर श्री सुनील जाखड़, राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह द्वारा उपरोक्त आदेशो को Seen किया और अपने कार्यालय के हेमन्त, लिपिक को बतौर छाया गवाह नियुक्त किया। शिकायतकर्ता का श्री सुनील जाखड़ राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह व छायागवाह से परिचय करवाया गया। रेडिंग किट व पार्टी तैयार की गई जिसमें निरीक्षक राकेश कुमार नं0 26/सी०पी०, स०उप०नि० राजिन्द्र कुमार न. 34/पंचकूला, स०उप०नि० दिलबाग नं0 12/पंचकूला, सि. गौरव न. 1593/अम्बाला व सिपाही राजन कुमार न. 2757/गुरुग्राम हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी दरखास्त को पढकर स्वतंत्र गवाह के सामने सुनाया गया। श्री सुनील जाखड़ स्वतंत्र गवाह द्वारा शिकायतकर्ता से पुछताछ की गई व संतुष्ट उपरांत मन निरीक्षक ने उपरोक्त करन्सी नोट मय फर्द सूची नोट को श्री सुनील जाखड़ स्वतंत्र गवाह को पेश किये। जिस पर स्वतंत्र गवाह ने उक्त करन्सी नोटों का मिलान फर्द सूची नोट से किया व मिलान करने उपरांत फर्द सूची नोट पर चैकड एण्ड वैरिफाई करने उपरांत अपने हस्ताक्षर करके उपरोक्त करंसी नोट मन निरीक्षक के हवाले किये। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए असल नम्बरी नोटों पर मैनें ब्रुश से फिनाईल पैथालीन पाउडर लगाकर शिकायतकर्ता राहूल की जामा तलाशी विधि अनुसार लेकर हवाले शिकायतकर्ता राहुल के किए गए व शिकायतकर्ता को हिदायत की कि वह यह नम्बरी नोट आरोपी विजय, चालक सिंचाई भवन हरियाणा पंचकूला के द्वारा बतौर रिश्वत राशि मांगने पर उसे दे तथा हेमन्त उपरोक्त को अभियोग उपरोक्त में बतौर छाया गवाह मुकर्रर करके हिदायत की कि वह शिकायतकर्ता राहुल उपरोक्त व आरोपी विजय के आस पास रहकर इनके बीच होने वाली बातचीत को सुनेगा और सारे हालात को देखेगा और जब आरोपी विजय उपरोक्त शिकायतकर्ता राहुल से रिश्वत की राशि प्राप्त कर लेगा, तो वह तुरन्त अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर रेडिंग पार्टी को इशारा करेगा। शिकायतकर्ता व पूरी रेडिग पार्टी के हाथ अच्छी तरह से साबुन से धुलवाए गए। फर्द मकबुजगी जामा तलाशी, हवालगी करंसी नोट शिकायतकर्ता, हाथ धोवन तथा नियुक्ति छाया गवाह तैयार करके शिकायतकर्ता व गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। जो शिकायतकर्ता राहुल उपरोक्त द्वारा पेश की गई दरखास्त के सार से अपराध धाराधीन 7ए पी०सी०एक्ट 1988 को होना पाया जाने पर तहरीर लिखी जाकर तहरीर अभियोग अंकित करने के लिए मोहर्र थाना रा.स. एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर 17 पंचकूला के हवाले की गई। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे तथा स्पैशल रिपोर्ट अभियोग उपरोक्त स्पैशल मसैनजर व ईमेल के माध्यम से स्पैशल मैजिस्ट्रट, पंचकूला की सेवा में व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जावे। अभियोग की प्रति व असल लेख मौका पर भिजवाई जावे। मन निरीक्षक मय रेडिंग पाटी व शिकायतकर्ता, रेडिंग किट, लैपटाप व प्रिंटर सहित रेड की कार्यवाही के लिए सरकारी गाड़ी न. HR 03GV-7853 जिसका चालक ई.ए.एस.आई परमजीत सिंह न. 598/अम्बाला है व प्राईवेट गाडी का रवाना मौका का होता हूं ।
अज- थाना रा.स एंव भ्र०नि०ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला ।

SD VIRENDER
निरीक्षक वरिन्द्र कुमार,
थाना रा.सं. एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
सैक्टर-17, पचंकूला
दिनांक 19.11.2025
समय 5.43 PM

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 16 दिनांक 19.11.2025 धारा 7A पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकुला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल बादस्त स0उ0नि0 जसपाल सिंह 1 अम्बाला के अनुसंधान अधिकारी के पास मौका पर भेजी जा रही है । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13.

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** VARINDER KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 15 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PANKHURI KUMAR

Rank (पद): ACP (Assistant Commissioner of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.